(नियम 13)

...al Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

| | | |
|---|---|---|
| रामनिवास पुत्र मोहन जाति कुम्हार निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि। | –बनाम– | कमला देवी पत्नी रामदेवा जाति कुम्हार निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि। |
| किस्म मुकदमा– दावाः विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा | | मु.नं. 110 / 2023<br>RCMS No |

| आदेश | कार्यवाही विवरण | पालना के क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 25.07.23 | आज यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षैत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/8/2023 को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)<br>नवलगढ़ जिला झुन्झुनू | |
| 25/8/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 4/9/23 को पेश हो।<br><br>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)<br>नवलगढ | नोट प्रेस<br>Sa |
| 4/9/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी उप. अभ्यालाभ होकर उक्त प्रकरण मे Note press कर प्रकरण को आगे नहीं चलाना जाहिर लिखा। अतः वकील वादी का निवेदन स्वीकार कर प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज लिखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [illegible] जाप्ता दाखिल [illegible]<br><br>ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)<br>नवलगढ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabha Dotasra
Date: 2024.02.23 14:53:09 IST
Reason: SelfAttested